



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 64/2015

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री प्रकाश उम्र 23 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति कोली निवासी सुसावन बारां जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. सरकार पक्ष (सायल)

2- श्री पिकेश जगरवाल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 13.05.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री प्रकाश पुत्र पन्नालाल जाति कोली निवासी सुसावन बारां जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारां के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गैरसायल अवैध शराब का धन्धा करने, मारपीट करने, अवैध हथियार रखने की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2010 से 2012 में कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से यह 19/54 एक्साईज एक्ट के 2 प्रकरणों में एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के 1 प्रकरण में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसके विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	31/10	341, 323, 34 भादस	47/17.02.10	दोषमुक्त 26.11.12
2.	681/10	323, 325, 34 भादस	511/15.11.10	राजीनाम 31.01.14
3.	788/10	19/54 एक्साईज एक्ट	619/18.12.10	सजा 31.01.15
4.	60/11	19/54 एक्साईज एक्ट	73/22.02.11	सजा 31.01.15
5.	357/11	19/54 एक्साईज एक्ट	274/28.11.11	पे0 कोर्ट
6.	252/12	4/25 आर्म्स एक्ट	167/20.04.12	सजा 12.09.14
7.	इस्त0	110 जा0फो0	पेश न्याया0	

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त 03 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्जे सम्मन तलबी की गई। जिसके अनुपस्थित रहने पर, जर्जे गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया। जिसे संबंधित एस.एच.ओ. द्वारा न्यायिक अभिरक्ष मे इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। गैरसायल इस न्यायालय मे हाजरी बाबत वांछित राशि के जमानत मुचलके प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहा। गैरसायल की ओर से श्री पिकेश जगरवाल अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर, सहमति पत्र किया गया, गैरसायल को जिला बदर की कार्यवाही के फलस्वरूप थाना बदर किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने बाबत्। इस पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2010 से 2012 में कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से यह 19/54 एक्साईज एक्ट के 2 प्रकरणो मे एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के 1 प्रकरण मे न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसके विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को थाना बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं मजदुरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे है। मेरी वृद्ध माँ है जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना किशनगंज किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। इसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों में वर्ष 2010 से 2012 में कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त प्रकरणों में से यह 19/54 एक्साईज एक्ट के 2 प्रकरणों में एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के 1 प्रकरण में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरुद्ध 41/110 सी.आर.पी.सी. के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि श्री प्रकाश पुत्र पन्नालाल जाति कोली निवासी सुसावन बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के 2 प्रकरणों में एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के 1 प्रकरण में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः श्री प्रकाश पुत्र पन्नालाल जाति कोली निवासी सुसावन बारों जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारों से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री प्रकाश पुत्र पन्नालाल जाति कोली निवासी सुसावन बारों जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारों से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं मुचलका इस अवधि में नेचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 27.05.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारों को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारों से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारों के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों